बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि० 1-03/2014 406 /पटना, दिनांक 12 जून, 2014

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)।

विषय : **प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2014 : मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क 1) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के आलोक में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) एवं अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) के रूप में अधिसूचित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी अपने आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. उपर्युक्त आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार उन प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों का निर्वाचन कराना चाहता है, जिनका निर्वाचन वर्ष 2014 में देय है। वैसी समितियों की सूची **अनुलग्नक-1** पर दी गई है।

4. बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम-8 एवं प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी लिमिटेड की उप विधियाँ की कंडिका-7 में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति सोसाईटी का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति सहकारी सोसाइटी के सदस्य नहीं बन सकते यदि,

(i) वह अठारह वर्ष से कम उम्र का है।

(ii) वह स्थायी रूप से सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में अपना निवास उठा लिया हो।

(iii) वह सोसाइटी का अथवा संबद्ध करनेवाली सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मचारी है।

(iv) वह पागल है।

(v) उसने दिवालिया या अनुशोभनाक्षम (insolvent) न्यायनिर्णीत होने के लिये आवेदन किया है या वह अप्रमाणित दिवालिया या अनुशोधनाक्षम (insolvent) है।

(vi) उसे राजनीतिक अपराध को छोड़कर कोई दूसरे अपराध के लिये सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिये सजा हुई हो जो नैतिक आचरण को अन्तग्रस्त करती हो और वह सजा रद्द नहीं की गयी हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं कर दिया गया हो। यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से पांच वर्ष के बाद लागू नहीं होगी।

5. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने दिनांक 30.06.2014 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो दिनांक 30.06.2014 तक समिति की सदस्यता ग्रहण करते हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्त्तें पूरी करते हैं, के नाम ही मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

i) सूची में अंकित संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति **प्रपत्र-एम 1 (अनुलग्नक-2)** में तीन प्रतियों में मतदाता सूची तैयार कर अपने जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। प्रपत्र-एम 1 में तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर यथास्थिति समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य को अगर कोई अयोग्यता हो तो उसका उल्लेख प्रपत्र-एम 1 के स्तंभ-5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। समिति के स्तर पर तैयार की गई यह प्राथमिक मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिनांक 08.07.2014 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करने में विफल रहती है, तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की मतदाता सूची अपनी देख-रेख में तैयार करायें।

ii) समिति द्वारा समर्पित मतदाता सूची की प्रामाणिकता की जाँच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची दिनांक 15.07.2014 तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जायेगा। यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही है।

iii) जिन व्यक्तियों द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी के आदेश के आलोक में सदस्यता शुल्क की राशि जिला सहकारिता बैंक में जमा की गयी है, उक्त राशि की जमा पर्ची एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी के आदेश से संबंधित पत्र की प्रति उपलब्ध कराने पर उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा।

iv) जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना संलग्न **प्रपत्र-एम 2 (अनुलग्नक-3)** में निर्गत की जायेगी।

7. उक्त प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (पैक्स) की मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
1	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	08.07.2014
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	15.07.2014
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	18.07.2014
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	18.07.2014
5	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	31.07.2014 तक
6	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	06.08.2014

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

9. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समिति/ समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दिनांक 22.07.2014 तक सूचनायें एकत्रित कर दिनांक 25.07.2014 तक इसे निश्चित रूप से प्राधिकार को समेकित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

10. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी समिति का नाम जोड़ने से संबंधित दावा संलग्न **प्रपत्र-एम 3 (अनुलग्नक-4) अथवा प्रपत्र-एम 4 (अनुलग्नक-5)** में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के सदस्य हैं। बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।

11. जिन व्यक्तियों द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी के आदेश के आलोक में सदस्यता शुल्क की राशि जिला सहकारिता बैंक में जमा की गयी है, उन आपत्तियों के संबंध में राशि की जमा पर्ची एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी के आदेश से संबंधित पत्र की प्रति उपलब्ध कराने पर उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा।

12. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

13. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही सम्यक आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में

आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। मतदाता सूची से नाम विलोपित किये जाने के मामले में आपत्तिकर्त्ता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं रहने की स्थिति में आपत्ति पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा। इसी तरह मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण-पत्र/ शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जायगी।

14. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र-एम 5 (अनुलग्नक-6)** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप **प्रपत्र-एम 6 (अनुलग्नक-7)** पर देखा जा सकता है।

15. संबंधित सहकारी समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

16. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी· जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-एम 1** में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे एवं एक प्रति मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखा जायगा।

17. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची चार प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति प्राथमिक सहकारी समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा एक प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 1.50/- प्रति पृष्ट की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

18. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

19. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पहले प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। **दिनांक 06.08.2014 को निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 (अनुलग्नक-8) पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य**

पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी अनुलग्नक-8 पर दिये गये प्रपत्र में ही सभी निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित करेंगे एवं इसे उसी प्रपत्र में फैक्स या विशेष दूत द्वारा दिनांक 13.08.2014 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ, जिले की पैक्सवार अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची स्कैन कर एक ही सी॰ डी॰ में समेकित कर दिनांक 20.08.2014 तक प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :

1. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (पैक्स) की सूची
2. मतदाता सूची का प्रपत्र - प्रपत्र-एम 1
3. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना - प्रपत्र-एम 2
4. मतदाता सूची से नाम हटाने तथा जोड़ने के संबंध में आपत्ति/ दावा दर्ज करने का प्रपत्र - प्रपत्र-एम 3
5. मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र - प्रपत्र-एम 4
6. अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना - प्रपत्र-एम 5
7. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप- प्रपत्र-एम 6
8. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार कर जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजे जाने वाले एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से प्राधिकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का प्रपत्र - प्रपत्र एम 7

विश्वासभाजन,

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 406 /पटना, दिनांक 12 जून, 2014

प्रतिलिपि: सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे कट-ऑफ तिथि के आधार पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति से निर्धारित तिथि को प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 406 /पटना, दिनांक 12 जून, 2014

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी नोडल पदाधिकारी, पैक्स चुनाव 2014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 406 /पटना, दिनांक 12 जून, 2014

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.6.14

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

<u>**अनुलग्नक-2**</u>

प्रपत्र-एम 1

व्यक्तिगत सदस्यों की मतदाता सूची

(.......................... की कट-ऑफ तिथि के आधार पर)

जिला का नाम : .... प्रखंड का नाम :..

समिति का नाम :...

क्रमांक	सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

<u>अनुलग्नक-3</u>

प्रपत्र-एम 2

मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

....,

(समिति का नाम)

प्रखंड ....,

पंजीयन संख्या...के सदस्यगण।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 एवं बिहार राज्य सहकारिता (संशोधन) नियमावली, 2008 के सुसंगत प्रावधानों तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुसार .... समिति के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची तैयार हो गयी है और उसकी एक प्रति कार्यालय अवधि के दौरान मेरे कार्यालय में और उपर्युक्त समिति के कार्यालय तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी, ... के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। प्रारूप मतदाता सूची दिनांक .... से .... तक विहित स्थलों पर प्रकाशित रहेगी।

निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने की कट-ऑफ-तिथि .... है।

यदि उपरोक्त कट-ऑफ-तिथि के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किया जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह दिनांक .... से .... (कार्यालय अवधि) के बीच निर्धारित प्रपत्रों में दाखिल किया जाय।

हर ऐसा दावा/ आक्षेप या तो मेरे कार्यालय में या .... (पदनाम) के समक्ष पेश किया जाय या नीचे दिये गये पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाय कि वह मुझे उपरोक्त तारीख तक मिल जाय। आपत्ति दाखिल करने के लिए निर्धारत प्रपत्रों (**प्रपत्र-एम 3 एवं प्रपत्र-एम 4**) का नमूना मेरे कार्यालय में उपलब्ध है।

प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक .... को किया जायेगा।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

पता ....

ज्ञापांक: ....

दिनांक ....

प्रतिलिपि: सचिव, ... समिति को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे संलग्न मतदाता सूची (प्रपत्र-एम1) को समिति के कार्यालय के सूचना पट पर इस मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना के साथ प्रकाशित करें।

2. यदि समिति कार्यालय निजी भवन में संचालित है तो इसे .... में (पंचायत के अंदर एक सार्वजनिक स्थान पर, जो निजी भवन में नहीं हो) में प्रकाशन की व्यवस्था करें। इसके लिए सूचना एवं मतदाता सूची की एक अतिरिक्त प्रति संलग्न है। (अगर लागू न हों, इसे काट दें)

2. कृपया मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना अपने स्तर से उपरोक्त समिति के सभी सदस्यों को दे दें।

निर्वाचन पदाधिकारी

पता ....

<u>**अनुलग्नक-4**</u>

प्रपत्र-एम 3

(मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध मे आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

.... , ... प्रखंड ....

(समिति का नाम)

महोदय,

मैं ....उपर्युक्त समिति के निर्वाचन के लिए प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची के क्रमांक............पर श्री/ श्रीमती/ कुमारी... का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्न कारण (कारणों) से आपत्ति दर्ज करता/करती हूँ :

(i) ....

(ii) ....

अथवा

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारी ....पिता/पति का नाम ....पता .... आवेदन दर्ज करता/ करती हूँ कि मेरा नाम उपरोक्त समिति की मतदाता सूची में निम्नलिखित कारणों एवं साक्ष्य के आधार पर जोड़ दिया जाय।

कारण ....(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ का भी उपयोग किया जा सकता है।)

निम्नलिखित साक्ष्य इसके साथ संलग्न है।

(i) सदस्यता शुल्क का प्रमाण-पत्र / शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति *

(ii) ---

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उक्त समिति के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है -

पूरा नाम..............................; पिता का नाम ....; मतदाता सूची का क्रमांक...........**

स्थान :

तारीख : आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*व्यक्तिगत सदस्य को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन में एक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगा।

** मतदाता सूची से नाम विलोपित किए जाने के लिए आवश्यक।

की गई कार्रवाई की सूचना

1. श्री/श्रीमती/कुमारी......................., जो ....का/की निवासी हैं द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और .... समिति की मतदाता सूची के क्रमांक..............पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी.................... ....का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है/ क्रमांक...........पर उनका नाम जोड़ दिया गया है।
2. निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है-

....

स्थान : निर्वाचन पदाधिकारी,

तारीख : .... समिति

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी............................ पता....................................... जो .... समिति के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांक ....को प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक .... है।

स्थान : आपत्ति प्राप्त करने वाले

तारीख : पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-एम 4

(मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

.... समिति

.... प्रखंड

महोदय,

मैं .... निवेदन करता/करती हूँ कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि, जो समिति ...., ...प्रखंड के प्रारूप मतदाता सूची में क्रम संख्या ....पर ....के रूप में दी गई है, शुद्ध नहीं है। उसे कृपया निम्नलिखित रूप में शुद्ध कर दिया जाय।

स्थान :

तारीख : आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी..........................., जो ....का/की निवासी हैं, द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है तथा संबंधित प्रविष्टि को निम्न रूप में सुधार दिया गया है :

....

स्थान : निर्वाचन पदाधिकारी,

तारीख : .... समिति

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी............................पता...जो .... समिति के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांक ....को प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक .... है।

स्थान : आपत्ति प्राप्त करने वाले

तारीख : पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<u>**अनुलग्नक-6**</u>

प्रपत्र-एम 5

(अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना)

जिला : .... प्रखंड ....

समिति का नाम : ....

1. **प्रविष्टि जो हटाई गई**

मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता का नाम

2. **वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि**

मतदाता की क्रम संख्या	वर्तमान प्रविष्टि			शुद्ध की गई प्रविष्टि		
	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता

3. **प्रविष्टि जो जोड़ी गई**

सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	अयोग्यता यदि कोई हो	मतदाता सूची में दिया गया क्रमांक

प्रपत्र-एम 6

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

.... के सदस्यगण।
(समिति का नाम)

.... समिति के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त समिति के निर्वाचन सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची कट-ऑफ-तिथि .... को आधार मानकर तैयार की गई है और उक्त नामावली की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय में तथा संबंधित समिति के कार्यालय एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

2. संलग्न मतदाता सूची की एक प्रति समिति के सचिव को प्रेषित की जा रही है।

दिनांक — निर्वाचन पदाधिकारी,

स्थान : — .... समिति

ज्ञापांक: .... — दिनांक ....

प्रतिलिपि: अध्यक्ष/ सचिव, ... समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि संबंधित समिति के सभी सदस्यों को अपने स्तर से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना दें।

दिनांक — निर्वाचन पदाधिकारी,

स्थान : — .... समिति

प्रपत्र-एम 7

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तैयार कर जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजे जाने वाले एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से प्राधिकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का प्रपत्र

जिला का नाम :..............................

क्रमांक	प्रखंड का नाम	समिति का नाम एवं पता	मतदाताओं की संख्या	पंचायत/ नगर पंचायत/ नगर परिषद्/ नगर निगम का नाम	प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानतः दूरी

(हस्ताक्षर)
प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ...

(हस्ताक्षर)
निर्वाचन पदाधिकारी , ...

नोट :- जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा इसी प्रपत्र में सभी प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित कर प्राधिकार को भेजा जायेगा